न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 01/2026

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 श्री विवेक दाधीच पुत्र भगवान प्रसाद दाधीच निवासी शास्त्री नगर, वॉर्ड नम्बर 2, कुचेरा, नागौर। फर्मः– श्री गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, कुचेरा, नागौर। 2 श्री भगवान प्रसाद दाधीच पुत्र पारसमल दाधीच निवासी शास्त्री नगर, वॉर्ड नम्बर 2, कुचेरा, नागौर। फर्मः– श्री गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, कुचेरा, नागौर। 3 श्री लुणकरण चोरडिया पुत्र मांगी लाल चोरडिया निवासी वॉर्ड नम्बर 10, कोट गली, सदर बाजार, कुचेरा, नागौर। फर्मः– हस्तीमल हेमराज, मैन बाजार, कुचेरा। 4 फर्मः– हस्तीमल हेमराज, मैन बाजार, कुचेरा। 5 श्री ओंकार सिंह मदान पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह मदान निवासी 2/32, सडक मार्ग, कार्टर कॉटेज, अलवर गेट अजमेर मैसर्सः– बंशीराम करतारचंद संस, 453/23, लाल कोठी, केसरगंज, अजमेर। 6 श्री आशिष प्रसाद पुत्र श्री दयान्द प्रसाद निवासी हॉउसिंह बॉर्ड कॉलोनी, शांति कुंज, अलवर। मैसर्सः– विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इन्डीस्ट्रीयल एरिया, इतराना रोड, अलवर। 7 मैसर्सः– विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इन्डीस्ट्रीयल एरिया, इतराना रोड, अलवर।

दिनांक :28.04.2026

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 24-12-2024 को मैसर्स श्री गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, कुचेरा, नागौर पर खाद्य Multi Source Edible Oil (Neeraj) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3279 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1429/एक्ट/2024/1450 दिनांक 31.12.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ Multi Source Edible Oil (Neeraj) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण श्री विवेक दाधीच पुत्र भगवान प्रसाद दाधीच निवासी शास्त्री नगर, वॉर्ड नम्बर 2, कुचेरा, नागौर, श्री भगवान प्रसाद दाधीच पुत्र पारस मल दाधीच निवासी शास्त्री नगर, वॉर्ड नम्बर 2, कुचेरा, नागौर, श्री लुण करण चोरडिया पुत्र मांगी लाल चोरडिया निवासी वॉर्ड नम्बर 10, कोट गली, सदर बाजार, कुचेरा, नागौर, हस्तीमल हेमराज, मैन बाजार, कुचेरा, श्री ओंकार सिंह मदान पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह मदान निवासी 2/32, सडक मार्ग, कार्टर कॉटेज, अलवर गेट अजमेर, श्री आशिष प्रसाद पुत्र श्री दयान्द प्रसाद निवासी हॉउसिंह बॉर्ड कॉलोनी, शांति कुंज, अलवर तथा विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इन्डीस्ट्रीयल एरिया, इतराना रोड, ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31-12-2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.02.2026 को अपना जवाब पेश किये तत्पश्चात न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हमारी दुकान से Multi Source Edible Oil (Neeraj) का सैम्पल जिला जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। हम उक्त Multi Source Edible Oil (Neeraj) अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से खरीदते है तथा जिस अवस्था में खरीदते है उसी अवस्था में बिना किसी छेडछाड के ग्राहकों को बेच देते है। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने श्री गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, कुचेरा, नागौर से Multi Source Edible Oil (Neeraj) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। हम उक्त Multi Source Edible Oil (Neeraj) अप्रार्थी संख्या 5 से खरीदते है तथा जिस अवस्था में खरीदते है उसी अवस्था में बिना किसी छेडछाड के ग्राहकों को बेच देते है। अप्रार्थी संख्या 05 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने श्री गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, कुचेरा, नागौर से Multi Source Edible Oil (Neeraj) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर की ओर से 46(4)

28/4/-
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

का नोटिस नहीं दिया गया यदि 46(4) का नोटिस दिया जाता तो रेफरल लेबोरेट्री से नमूने की पुनः जांच कराता जो कि विधि रूप से आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 06 व 07 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने श्री गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, कुचेरा, नागौर से Multi Source Edible Oil (Neeraj) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त नमूने में Acid Value 2.39 आया है उसका कारण हो सकता है कि Food Analys ने उक्त नमूने का Store in unsafe condition में रखा है तथा उचित वातारण व तापमान में नहीं रखा होगा इन्ही कारणों से भी खाद्य पदाथों में Acid Value की अधिकता पाई जा सकती है। पत्रावली पर मौजूद प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत खाद्य पदार्थ अधोमानक पाया गया है। खाद्य पदार्थ जो कि अप्राप्य पदार्थ के रूप में है जबकि प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इससे प्रश्नगत खाद्य पदार्थ की गुणवता का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है जबकि अधोमानक मात्र वेल्यू की अधिकता के कारण घोषित किया गया है जो न्यायहित मे नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर की ओर से 46(4) का नोटिस नहीं दिया गया यदि 46(4) का नोटिस दिया जाता तो रेफरल लेबोरेट्री से नमूने की पुनः जांच कराता जो कि विधि रूप से आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 06 व 07 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 का उल्लंघन नहीं किया है, जिससे उक्त प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1429/एक्ट/2024/1450 दिनांक 31.12.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ Multi Source Edible Oil (Neeraj) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 श्री विवेक दाधीच पुत्र भगवान प्रसाद दाधीच निवासी शास्त्री नगर, वॉर्ड नम्बर 2, कुचेरा, नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 श्री भगवान प्रसाद दाधीच पुत्र पारस मल दाधीच निवासी शास्त्री नगर, वॉर्ड नम्बर 2, कुचेरा, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 03 श्री लुण करण चोरडिया पुत्र मांगी लाल चोरडिया निवासी वॉर्ड नम्बर 10, कोट गली, सदर बाजार, कुचेरा, नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 04 हस्तीमल हेमराज, मैन बाजार, कुचेरा, पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 05 श्री ओंकार सिंह मदान पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह मदान निवासी 2/32, सडक मार्ग, कार्टर कॉटेज, अलवर गेट अजमेर पर रूपये 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 06 श्री आशिष प्रसाद पुत्र श्री दयान्द प्रसाद निवासी हॉउसिंह बॉर्ड कॉलोनी, शांति कुंज, अलवर एवं अप्रार्थी संख्या 07 विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इन्डीस्ट्रीयल एरिया, इतराना रोड पर संयुक्त रूप से रूपये 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये, कुल रूपये 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

२८/५/–

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)